

— प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर।

संख्या: 27/2022

दिनांक: 26.06.2022

थाना कछवां, स्वाट/एसओजी व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा डीसीएम में लदी 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब(अनुमानित कीमत ₹ 16 लाख) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अजय कुमार सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर शैलेन्द्र प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में जनपद में अवैध शराब/मादक पदार्थों, अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.06.2022 को थाना कछवां, स्वाट/एसओजी व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा डीसीएम में लदी 200 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 25.06.2022 को प्र0नि0 कछवां रामस्वरूप वर्मा, निरीक्षक सत्येन्द्र यादव प्रभारी एसओजी, उ0नि0 राजेश जी चौबे प्रभारी स्वाट व आबकारी निरीक्षक कुंवर विशाल भारती क्षेत्र- II चुनार मय टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कटका यादव ढाबा के पास एक डीसीएम खड़ी है जिसमें से शराब की तीक्ष्ण गंध आ रही है। उक्त सूचना के आधार पर आबकारी व पुलिस विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा यादव ढाबा के पास से डीसीएम सवार 02 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पूछताछ में जिनके द्वारा अपना नाम पता 1-सतपाल पुत्र इन्द्राज निवासी बहादुरगढ़ थाना बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा, 2-बादशाह पुत्र शौकत अली निवासी हिसार थाना नौ ग्यारह सेक्टर हरियाणा बताते हुए वाहन अवैध अंग्रेजी अवैध शराब लदा होना बताया गया। पुलिस व आबकारी टीम द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में लदी कुल 200 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब इम्पीरियल ब्लू(फॉर सेल इन हरियाणा ओनली) अंकित होना पाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह उक्त डीसीएम वाहन में अवैध/अपमिश्रित शराब लादकर बिहार प्रान्त बेचने ले जाते है जहां बिक्री के उपरान्त पैसे को आपस में बांट लेते है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-95/2022 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम व 272/273/419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया तथा डीसीएम वाहन संख्या: UP 15 BT 3955 का वैद्य कागजात न होने के कारण धारा 207 एमवी एक्ट के तहत वाहन को सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

- 1-सतपाल पुत्र इन्द्राज निवासी बहादुरगढ़ थाना बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा, उम्र करीब-38 वर्ष।
- 2-बादशाह पुत्र शौकत अली निवासी हिसार थाना नौ ग्यारह सेक्टर हरियाणा, उम्र करीब-21 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

- 1- वाहन डीसीएम UP 15 BT 3955.
- 2- 200 पेटी अवैध/अपमिश्रित अंग्रेजी शराब (70 पेटी 750ml, 80 पेटी 375ml, 50 पेटी 180 ml).
- 3- जामा तलाशी से 02 अदद मोबाइल तथा ₹ 7000/-

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

कटका हाइवे यादव ढाबा के पास से, दिनांक 25.06.2022 को समय 17.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम —

थाना कछवां टीम	आबकारी टीम	एसओजी/सर्विलांस टीम	स्वाट टीम
1-निरी0 रामस्वरूप वर्मा(प्र0नि0 थाना कछवां) 2-व0उ0नि0 बजरंगबली चौबे 3-हे0का0 श्यामशेर यादव 4-का0धीरज कुमार 5-का0 कुलदीप पाल	1-आ0नि0 कुंवर विशाल भारती(क्षेत्र-2 चुनार) 2-प्र0आ0सिपाही मुनेश कुमार तिवारी 3-प्र0आ0सिपाही राज बहादुर 4-आ0सिपाही दिनेश कुमार मिश्रा	1-निरी0 सत्येन्द्र यादव(प्रभारी एसओजी) 2-हे0का0 प्रवीण कुमार 3-हे0का0 लालजी यादव 4-हे0का0 बृजेश सिंह 5-का0 मनीष सिंह 6-का0 नितिल कुमार सिंह	1-उ0नि0 राजेश जी चौबे(प्रभारी स्वाट) 2-हे0का0 विवेक दूबे 3-हे0का0 राजेश यादव 4-हे0का0 बृजकिशोर शर्मा 5-हे0का0 राजसिंह राणा 6-हे0का0 वीरेंद्र सरोज 7-का0 संदीप राय

नोट— पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को ₹ 15000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।

